न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 11 / 2024

नारायण सिंह पुत्र स्व0 दामोदर, उम्र लगभग 62 वर्ष निवासी ग्रांम बुराना, ग्रांम पंचायत सैदपुरा, तहसील रुपवास, जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1–जिला रसद अधिकारी भरतपुर
2–बनवारी लाल मीना वर्तमान में जिला आपूर्ति अधिकारी प्रतापगढ राज0

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 15.07.2020 जिला रसद अधिकारी भरतपुर

उपस्थितः–
1–श्री नवीन मित्तल अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार रसद, रेस्पो.

निर्णय

दिनांक 19–03–2025

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 15–07–2020 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी नारायण सिंह पुत्र स्व0 दामोदर, उम्र लगभग 62 वर्ष निवासी ग्रांम बुराना, ग्रांम पंचायत सैदपुरा, तहसील रुपवास, जिला भरतपुर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं जमाशुदा प्रतिभूति राशि 1000/– जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पारित नहीं किया गया है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। किसी भी राशनकार्ड में वितरण की प्रविष्टि ऑनलाइन बिलों के विपरीत नहीं है। कोरोना महामारी के कारण कुछ उपभोक्ताओं ने राशनकार्ड जमा कराने से इन्कार कर दिया था। ऑनलाईन बिल जनरेट हो गए हैं, इसलिए इस वास्तविक गलती के कारण कुछ राशनकार्डों में वितरण की प्रविष्टि नहीं की गई थी, लेकिन राशन वितरण बिल्कुल ऑनलाईन बिलों के अनुसार किया गया था। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहत न्यायालय ने कोई निष्पक्ष जांच नहीं की है। अपीलान्ट की

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

दुकान का निरीक्षण नहीं किया और ना ही स्वतन्त्र गवाह के बयान लिये गये हैं। खाद्यान्न का वितरण पॉश मशीन के माध्यम से किया जा रहा है, मशीन राशनकार्ड धारक के परिवार के सदस्य के अंगूठे के निशान को स्कैन करने के बाद ही काम करती है। अंगूठे के निशान के तुरंत बाद राशन कार्ड धारक को उसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर डिलीवरी का संदेश प्राप्त होता है जिसमें उसके लिये वितरण की गई वस्तुओं का पूरा विवरण होता है। इसलिये खाद्यान्न कम देने का आरोप गलत है। कुछ राशनकार्ड धारकों ने राशन कार्ड देने से यह कहकर इन्कार कर दिया कि कोरोना महामारी के कारण राशन कार्ड देना असुरक्षित है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि तहत न्यायालय ने एक ही आरोप में दो–दो बार कारण बताओ नोटिस दिये गये हैं। अपीलान्ट की ओर से कारण बताओ नोटिस का जबाब यथा समय दे दिया गया था। शिकायतकर्ताओं की शिकायत झूठीं है। अपीलान्ट ने किसी का भी नाम नहीं कटवाया है, राशनकार्ड धारक उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में परिवार के मृतक सदस्यों एवं विवाहित लड़कियों के नाम दर्ज होने का पता चलने पर उन्हें ऐसे सदस्यों के नाम हटाने के लिये आगे की कार्यवाही करने का अनुरोध था इस पर उन्होनें अपीलान्ट के खिलाफ झूंठी शिकायत करने की धमकी दी गई। तहत न्यायालय ने बिना कोई जांच किये विना कोई साक्ष्य सबूत लिये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

पैरोकार रसद ने जाहिर किया कि राशनकार्ड धारक चुन्नीराम पुत्र हरबक्श उपभोक्ता की मृत्यू हो चुकी है तथा पुत्री की शादी हो चुकी है, उक्त दोनों यूनिटो का 10 कि.ग्र.गेंहू उपभोक्ता को नहीं दिया गया है जब कि ऑनलाइन वितरण दर्शाया गया। राशन कार्डधारक उत्तम पुत्र बालमुंकद तीन वर्ष पूर्व, पिंकी व मछला की शादी भी तीन वर्ष पूर्व हो चुकी है परन्तु डीलर द्वारा उपभोता को इन यूनिटो का गेंहू नहीं दिया जाकर ऑनलाइन वितरण दर्शाकर गेंहू को बचाया गया है। राशन कार्ड नम्बर 00752570043 में एंक यूनिट का 5 किग्रा. व राशनकार्ड नम्बर 007525700176 में दो यूनिट कांता व पूरनदेई के प्रति माह 10 कि.ग्रा. का वितरण नहीं कर ऑनलाइन वितरण दर्शाया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा उक्त यूनिटों की ऑनलाईन वितरण दर्शायी गई मात्रा को उपभोक्ताओं को नहीं देना पाया गया और सम्बन्धित उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में वितरित मात्रा का इन्द्राज नहीं करना पाया गया है। पैरोकार सरकार का कथन है कि इस प्रकार अपीलान्ट डीलर द्वारा उक्त यूनिटों का गेंहू का वितरण नहीं कर खाद्यान्न की कालाबाजारी में लिप्त पाया गया है। अपीलान्ट डीलर का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,15 व 17 सी का उल्लंघन होने के कारण तहत न्यायालय ने विधिवत जांच करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

.....3

जिला कलक्टर,

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया गया। उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली तहत में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया गया। डीलर का यह कथन कि तत्समय कोराना महामारी का प्रकोप तथा भय होने के कारण कुछ उपभोक्ताओं ने बीमारी के डर से राशनकार्ड इन्द्राज को नहीं दिय गये जिससे वितरण सामग्री का इन्द्राज होने से रह गये हैं। परन्तु राशन कार्ड में इन्द्राज रहजाना अपीलान्ट की यह स्वीकारोक्ती, डीलर की कार्य के प्रति लापरवाही दर्शाती है। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी ने केवल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को कथित यूनिटों को गेहूँ वितरण नहीं कर कालावजारी की मंशा होना माना है, तहत न्यायालय ने अपनी जांच में किसी भी शिकायतकर्ता या उपभोक्ता को तलव नहीं किया गया और ना हीं उनके बयान दर्ज किये गये हैं। क्योंकि तहत पत्रावली में किसी उपभोक्ता के वयान शामिल नहीं हैं। डीलर द्वारा कालावाजारी करने के आरोप के सम्वन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली तहत पर उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलान्ट की खाद्यान्न की कालावाजारी में लिप्तता दर्शाता हो। चूँकि डीलर द्वारा कुछ उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में खाद्यान्न का इन्द्राज करने से रहना स्वीकार किया है, अपीलान्ट डीलर की यह स्वीकारोक्ती उसकी कार्य के प्रति लापरवाही दर्शाती है। अपीलान्ट डीलर की कार्य के प्रति लापरवाही के लिये उसकी प्रतिभूति राशि 1000/—जप्त किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलान्ट डीलर की प्रतिभूति राशि 1000/—जप्त की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.7.2020 निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा प्रतिभूति राशि 1000/— जमा राज कोष कराये जाने पर वितरण व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से चालू की जावे। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर